FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,डीग जिला डीग

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | **नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए**

प्रमोद बनाम सुरेन्द्र सिंह

मुकदमा किस्मः- दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट., मुकदमा नम्बर 89 /2025,

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.06.2025	पत्रावली को वकील वादी ने पेश किया। वकील वादी को सुना गया। अतः प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट,दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब कर पत्रावली वास्ते तलबी प्रति0 हेतु दिनांक 08.08.2025 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी डीग (डीग) राज.	
8-8-25	बकारन अधिवक्ता उपस्थित/पीठासीन अधिकारी अवकाश/अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बैठक में भरतपुर पधारे हैं। वकील वादी/प्रतिवादी ने -------- पेश किया। शामिल पत्रावली होकर पूर्वानुसार दि० 10-10-25 को पेश हो।	मैं राजीनामा होने पर दावा वापिस लेता हूं प्रमोद कुमार Identification [signature] 15/9/25
15-9-25	आज यह पत्रावली वकील पक्षकार के निवेदन व प्रा पत्र पर तलब की गई। वकील पक्षकार ने प्रा० पत्र 23 नियम 1 जा० दी० पेश किया। प्रा० पत्र० किया प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। वकील पक्षकार ने बताया कि वादी एक प्रतिवादीगण के आपस में लोक अदालत की भावना से पंच पटेलों ने आपस में राजीनामा करा दिया है। दावा विड्रा कर खारिज किया जाना अति आवश्यक है। अतः प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर दावा को वादी को विड्रा करने की अनुमति दी जाकर दावा खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] शुमार होकर [illegible] हो [signature] उपखण्ड अधिकारी डीग (डीग) राज.	